नम्बर /वर्ष 936/2024 अनवानी राजपाल बनाम ब्रजलाल

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
20/5/26		

हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी की बहस का विवेचन किया गया है:–

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी ने दावा में दर्ज भूमि बाबत श्रीमानजी की अदालत में अनवानी सरजीत बनाम बृजलाल वाद संख्या 871/2019 इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है जिसमें आगामी तारीख पेशी 6.4.2026 वास्त साक्ष्यवादी निश्चित है।

अनवानी वाद सरजीत बनाम बृजलाल में पक्षकारो के हक व हिस्सा का निर्धारण होना है इसलिये जब तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद अनवानी सरजीत बनाम बृजलाल में दावा के पक्षकारो के हक हिस्सा का निर्णय नही हो जाता तब तक अनवानी वाद में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की जा सकती है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद सरजीत बनाम बृजलाल आदि में अनवानी वाद में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान है इसलिये दोनो दावो में समान्तर कार्यवाही नही चल सकती है इसलिये सरजीत बनमाम बृजलाल आदि वाद के निर्णय तक अनवानी वाद की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना आवश्यक है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद की कार्यवाही वाद संख्या 871/2019 अनवानी सरजीत बनाम बृजलाल के निस्तारण तक स्थगित रखने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार न्यायालय में वाद संख्या 871/2019 अनवानी सरजीत बनाम बृजलाल विचाराधीन है जिसमें हस्तगत वाद में वर्णित भूमि एक समान है।

वादी राजपाल ने यह वाद अपने पिता बृजलाल के नाम दर्ज भूमि में अपने हको की घोषणा के लिये पेश किया गया है तथा वादी का कथन है कि पूर्व में जारी स्थगन आदेश निरस्त हो चुका है स्थगन आदेश के अभाव में वाद की कार्यवाही को नही रोका जा सकता वादी का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि अभी प्रतिवादी बृजलाल के हको को अन्तिम निस्तारण नही हुआ है जब तक अन्तिम निस्तारण नही हो जाता तब तक बृजलाल के नाम दर्ज भूमि में हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नही है।

न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद संख्या 871/2019 अनवानी सरजीत बनाम बृजलाल के निस्तारण/निर्णय होने पर बृजलाल के हको का निर्धारण होगा उसके बाद ही वादी जो बृजलाल का पुत्र है अपने हको की घोषणा करवा सकता है।

प्रकरण संख्या 871/2019 अनवानी सरजीत बनाम बृजलाल के निस्तारण से पूर्व यदि बृजलाल के हक हिस्सा में परिर्वतन किया जाता है तो पूर्व से विचाराधीन उक्त वाद पूर्णरूप से प्रभावित हो जावेगा जो न्यायोचित नही है वादी वाद संख्या 871/2019 के निस्तारण के उपरान्त अपने हको की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद संख्या 871/2019 अनवानी सरजीत बनाम बृजलाल के निस्तारण /निर्णय के उपरान्त बृजलाल का हिस्सा तय होने के बाद ही वादी अपने पिता बृजलाल से अपने हको की घोषणा करवाने का अधिकारी है तब तक वाद की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना उचित है।

अतः प्रार्थी/सरजीत का प्रार्थना पत्र आदेश 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जा[illegible]गत वाद की कार्यवाही को वाद संख्या 871/2019 अनवानी सरजीत बनाम बृजलाल के निस्तारण/निर्णय होने तक स्थगित रखी जाती है वाद संख्या 871/2019 के निस्तारण उपरान्त पेश हो तब तक वाद दाखिल दफ्तर किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/5/[illegible] को मेरे द्वारा लिख[illegible]कर बसरे इजलास सुनाया गया।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
कोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.25 12:21:31 IST
Reason: SelfAttested